कार्यालय, नगर निगम, आदित्यपुर

झारखण्ड अधिनियम 2011 के धारा 427 एंव नगर पर्षद आदित्यपुर के भवन उपविधि के तहत नियमितीकरण।

पत्रांक 2893

दिनांक 22/12/17

सेवा में,

M/s Kamdhenu City Homes Builders Pvt. Ltd.
Dir- Mr. Paramjit Singh Sandhu S/o Mr Harmek Singh Sandhu
Add- S.B.I hill view Enclave Manpita Telco, Jamshedpur.

महाशय,

आपके द्वारा प्लॉट सं०(नया) 1524,1526,1530,1528,1525,1527,1531 (पुराना) 720,639,721 खाता सं०. (नया) 178,182 (पुराना) 48,52 मौजा : कुलुपटांगा थाना सं० 130 पर पारित मानचित्र से विचलित कर निर्मित भवन Block- A Gr. Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (Residential), Block- B Gr. Floor (Parking) 1st Floor to 5th Floor (Residential) भवन का नियमतिकरण निम्नलिखित शर्त्तों पर दी जाती है –

1) इस नियमतिकरण के फलस्वरूप पूर्व के परमिट सं0 691 दिनांक 26.5.15 का अवक्रमण होगा।
2) आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एंव समर्पित दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर नियमितिकरण रद्व करते हुये नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
3) इस योजना के तहत नियमितिकरण का लाभ लेने के फलस्वरूप भविष्य में पुन: नियमितिकरण पर विचार नही किया जायेगा।
4) भवन नियमितिकरण से किसी प्रकार के अधिकार ,स्वामित्व या अन्य लाभ स्थापित नही होगा।
5) अग्नि सुरक्षा संबधी आवश्यक उपकरण अग्निशमन पदाधिकारी के परामर्श से स्थापित कर उसकी जॉच कराते हुये जॉच प्रतिवेदन अधिकतम 6 माह के अन्दर आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय में निश्चित रूप से समर्पित करेंगें, ऐसा नहीं करने पर आदेश स्वत: निरस्त हो जायेगा।
6) भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था 6 माह के अन्दर सुचारू रूप से स्थापित कर इस कार्यालय से जॉच करा लेगें।

7) नियमितिकरण के उक्त निर्माण से संबधित किसी भी दिवानी या फौजदारी मुकदमों पर प्रभाव नही पडेगा।

8) किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाकर तथा गलत जानकारी देकर नियमित कराये गये आदेश को वापस ले लिया जायेगा एंव इसके लिये जमा कराया गया शुल्क जप्त कर लिया जायेगा तथा संबधित अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता के उपर झारखण्ड अधिनियम 2011 के तहत कारवाई की जायेगी।

9) भवन की संरचना के स्थिरता के मामले में प्रमाण पत्र देने वाले अनुज्ञप्ति धारक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगें।

10) झारखण्ड अपार्टमेंट एक्ट 2011 में वर्णित संबधित कंडिकाओं का पूर्णत पालन करना अनिवार्य होगा।

11) मानक के अनुरूप विधुततडित चालक की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी होगी।

12) इस नियमितिकरण के उपरांत भवन में किसी प्रकार के निर्माण करने के उपरान्त या उपरोक्त शर्तो का पालन नही करने पर नियमितिकरण रद्व करने का अधिकार आदित्यपुर नगर निगम का होगा।

नियमितिकरण के उपरांत उपरोक्त आशय का शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमितिकृत नक्शे की प्रति हस्तगत करायी जायेगी।

22.12.17

कनिय अभियंता नगर निगम, आदित्यपुर	सहायक अभियंता नगर निगम, आदित्यपुर	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, आदित्यपुर

22.12.17 22.12.17

ज्ञापांक 2893 दिनांक 22/12/17

प्रतिलिपि : श्री अनुप कुमार अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, आदित्यपुर

22.12.17 22.12.17